

फर्द अहकाम

कार्यालय:-

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उदयपुर

अपीलार्थी:-

ओम सिंह चुण्डावत बनाम आयुक्त नगर निगम, उदयपुर

किस्म मुकदमा:-

प्रथम अपील पत्रावली संख्या:- 69/26

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई |
|---------|--|---|
| | <p>23.03.2026</p> <p>प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना चाहने हेतु सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 6(i) के अन्तर्गत कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, उदयपुर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। परन्तु अपीलार्थी की अपील पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि वह सक्षम अपीलीय अधिकारी (प्रशासक, नगर निगम उदयपुर) को ही अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>(नमित मेहता) प्रथम अपील अधिकारी सूचना का अधिकार अधि. एवं जिला कलक्टर, उदयपुर</p> | |